नरेंद्र कुमार

बनाम

दिल्ली राज्य (एनसीटी)

(आपराधिक अपील संख्या 2066-67, 2009)

25 मई 2012

{डॉ0 बी.एस. चैहान और दीपक मिश्रा, जे.जे}

दंड संहिता, 1860-धारा 376 के तहत अपराध का कमीशन-अभियोक्त्री की गवाही के आधार पर निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्धि और सजा - अपील पर, अभिनिर्धारितः जब अदालत को अभियोक्त्री के संस्करण को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करना मुश्किल लगता है, तो वह प्रत्यक्ष या ठोस साक्ष्य खोज सकती है, जो उसकी गवाही को आधार/आश्वासन दे सकता है - तथ्यों के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोक्त्री घटना से पहले अपीलकर्ता को नहीं जानती थी-तथ्य और परिस्थितियाँ यह बिल्कुल स्पष्ट कर देती हैं कि यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य रिकॉर्ड पर अन्य सबूतों के साथ परिस्थितियों की समग्रता को पढ़ा और माना जाता है, जिसमें अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया है, तो उसका बयान विश्वसनीय प्रेरित नहीं होता है- अभियोजन पक्ष ने अपराध की वास्तविक उत्पत्ति का खुलासा नहीं किया - इस प्रकार, अपीलकर्ता संदेह के लाभ के लिए हकदार है-निचली अदालतों द्वारा पारित

निर्णय और आदेश में अपीलकर्ता को अन्तर्गत धारा 376 में दोषिसिद्धि को अपास्त किया।

अभियोजन मामले के अनुसार, अपीलकर्ता ने पीडब्लू-1 के साथ बलात्संग किया। एफआईआर दर्ज की गई। पीडब्लू 1-अभियोक्त्री की चिकित्सीय जांच की गई। मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया और सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को यथावत रखा। इसलिए, अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित किया 1.1. एक बार जब अभियोक्त्री का बयान आत्मविश्वास जगाता है और अदालत द्वारा उसी अनुरूप स्वीकार कर लिया जाता है, तो दोषसिद्धि केवल अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य पर आधारित हो सकती है और किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि कोई बाध्यकारी कारण न हो जिसके लिए अदालत को उसके बयान की पुष्टि की आवश्यकता हो। अभियोक्त्री की साक्ष्य की पुष्टि कानून की न्यायिक निर्भरता के लिए एक शर्त के रूप में आवश्यकता नहीं है, बल्कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत विवेक का मार्गदर्शन है। छोटे-मोटे विरोधाभास या महत्वहीन विसंगतियाँ, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं होनी चाहिए। बलात्संग के अपराध

का पीड़ित होने की शिकायत करने वाली अभियोक्त्री अपराध की सह-अपराधी नहीं है। उसकी गवाही को किसी अन्य गवाह की गवाही की तरह ही संभावनाओं के सिद्धांत पर सराहा जाना चाहिए; आपराधिक आरोप की विषय-वस्तु होने के लिये उच्च स्तर की संभावना मौजूद होना चाहिये। हालाँकि, अगर अदालत को अभियोक्त्री के बयान को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करना मुश्किल लगता है, तो वह प्रत्यक्ष या पर्याप्त साक्ष्य की तलाश कर सकती है, जो उसकी साक्ष्य को आश्वासन दे सकता है। { पैरा 16 } { 160-डी-एच }

विमल सुरेश कांबले बनाम चालुवेरापिनाके अपल एस.पी. और अन्य. एआईआर 2003 एससी 818; विष्णु बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 2006 एससी 508: 2005 (5) सप्ली. एससीआर 474- निर्भर किया।

1.2. जहां अभियोक्त्री की साक्ष्य अन्य सामग्री के साथ गंभीर दुर्बलताओं और विसंगतियों से ग्रस्त पाई जाती हैं, अभियोक्त्री अपनी ओर से सहमति को खारिज करने की दृष्टि से भौतिक बिंदु में जानबूझकर सुधार कर रही है और उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है, भले ही उसका संस्करण अन्य हो, उसके साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। { पैरा 17 } { 161-बी}

सुरेश एन. भुसारे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (1999) 1 एससीसी 220; जय कृष्ण मंडल एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य (2010) 14 एससीसी 534; राजो एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 2009

एससी 858: 2008 (16) एससीआर 1078; तमीजुद्दीन/तम्मू बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली (2009) 5 एससीसी 566; 2009 (14) एससीआर 80 - पर भरोसा किया गया।

1.3. यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां यह दिखाने के लिए कुछ सामग्री है कि पीड़िता को संभोग की आदत थी, वहां पीड़िता के ''सहज गुणों वाली महिला या ''ढीले नैतिक चरित्र वाली महिला होने का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसी महिला को अपनी गरिमा की रक्षा करने का अधिकार है और केवल इसी कारण से उसके साथ बलात्संग नहीं किया जा सकता। उसे खुद को किसी भी और सभी के साथ यौन संबंध बनाने से इन्कार करने का अधिकार है क्योंकि वह किसी भी और सभी के द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार होने के लिए एक कमजोर वस्तु या शिकार नहीं है। केवल इसलिए कि एक महिला सहज गुणों वाली होती है, उसके साक्ष्य को केवल इसी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसकी सावधानीपूर्वक सराहना की जानी चाहिए। {पैरा 21} {162-सी-ई}

महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम मधुकर नारायण मर्दिकर एआईआर 1991 एससी 207: पंजाब राज्य बनाम गुरमित सिंह एवं अन्य एआईआर 1996 एससी 1393; यूपी राज्य बनाम पप्पू / यूनुस और अन्य एआईआर 2005 एससी 1248ः 2004 (6) सप्ली. एससीआर 585 - पर भरोसा किया गया।

1.4. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 53 और 54 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जब तक कि अभियोक्त्री का चरित्र स्वयं विवाद्यक न हो, उसका चरित्र बिल्कुल भी विचार करने योग्य सुसंगत कारक नहीं है। {पैरा 22} {162-एफ}

1.5. बलात्संग के आरोप में किसी आरोपी पर मुकदमा चलाते समय अदालतों को मामले को अत्यन्त संवेदनशीलता के साथ निपटाना चाहिए, मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और गवाहों के साक्ष्य में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो पर्याप्त प्रकृति के नहीं हैं। हालाँकि, बलात्संग के मामले को भी साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पक्ष का होता है, जो अपराध के प्रत्येक घटक को सकारात्मक रूप से साबित करने के लिए स्थापित करना चाहता है और इस प्रकार साबित करने का भार कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। यह बताना बचाव पक्ष का कर्तव्य नहीं है कि बलात्संग के मामले में पीड़िता और अन्य गवाहों ने कैसे और क्यों आरोपी को झूठा फंसाया है। अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और बचाव पक्ष की कमजोरी का सहारा नहीं लिया जा सकता। जब तक कि अभियुक्त के खिलाफ संदेह कितना भी बड़ा हो और अदालत का नैतिक विश्वास और दृढ़ विश्वास कितना भी मजबूत हो, जब तक कि अभियुक्त का अपराध कानूनी साक्ष्य और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हो जाता, उसे किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया

जा सकता है। यहां अभियुक्त की बेगुनाही की प्रारंभिक उपधारणा होती है और अभियोजन पक्ष को विश्वसनीय सबूतों के माध्यम से अभियुक्त के खिलाफ अपराध साबित करना होता है। अभियुक्त प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है। {पैरा 23} {162-जी-एच; 163-ए-डी}

तुकाराम और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1979 एससी 185: 1979 (1) एससीआर 810; उदय बनाम कर्नाटक राज्य एआईआर 2003 एससी 1639: 2003(2) सीआर 231- पर भरोसा किया गया।

1.6. अभियोजन को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होगा और बचाव पक्ष के मामले की कमजोरी का सहारा नहीं लिया जा सकता। अभियुक्त की दोषसिद्धि को लेखबद्ध करने के लिए रिकॉर्ड पर उचित कानूनी साक्ष्य और सामग्री होनी चाहिए। दोषसिद्धि अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है, बशर्ते इससे उसकी गवाही का विश्वास मिलता हो। हालाँकि, यदि अदालत के पास अभियोक्त्री के संस्करण को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार न करने का कारण है, तो वह पुष्टिकारक की तलाश कर सकती है। यदि साक्ष्य को उसकी समग्रता में पढ़ा जाता है और अभियोक्त्री द्वारा पेश की गई कहानी असंभव पाई जाती है, तो अभियोक्त्री का मामला खारिज किए जाने योग्य हो जाता है। अदालत को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए और पूरे मामले की पृष्ठभूमि की समग्रता में साक्ष्य की सराहना करनी चाहिए, न कि अलगाव में। भले ही अभियोक्त्री सहज गुणी/अपवित्र महिला हो यह अपने आप में एक

निर्धारक कारक नहीं हो सकता और अदालत को यह निर्णय देना आवश्यक है कि क्या आरोपी ने शिकायत में वर्णित अवसर पर पीड़िता के साथ बलात्संग किया था। {पैरा 24} {163-ई-एच}

1.7. किसी भी तरह की कल्पना से यह नहीं माना जा सकता कि अभियोक्त्री घटना से पहले अपीलकर्ता को नहीं जानती थी। प्रस्तुत तथ्य और परिस्थितियाँ, जिसमें अपराध किए जाने का आरोप है, यह बिल्कुल स्पष्ट करती हैं कि यदि अभियोक्त्री के साक्ष्य को रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य साक्ष्यों के साथ परिस्थितियों की समग्रता में पढ़ा और विचार किया जाता है, तो उसका बयान आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है। अभियोजन पक्ष ने अपराध की वास्तविक उत्पत्ति का खुलासा नहीं किया। ऐसी तथ्य-परिस्थिति में, अपीलकर्ता संदेह के लाभ का हकदार हो जाता है। आपराधिक अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय और विचारण कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश को अपास्त किया। {पैरा 25} {164-बी-ई}

संदर्भित केस लॉ:

एआईआर 2003 एससी 818	भरोसा किया	पैरा 16
2005 (5) सप्ली. एससीआर 474	भरोसा किया	पैरा 16
(1999) 1 एससीसी 220	भरोसा किया	पैरा 17
(2010) 14 एससीसी 534	रैफर किया	पैरा 18
2008 (16) एससीआर 1078	रैफर किया	पैरा 19

2009 (14) एससीआर 80	रैफर किया	पैरा 20
एआईआर 1991 एससी 207	भरोसा किया	पैरा 21
एआईआर 1996 एससी 1393	भरोसा किया	पैरा 21
2004 (6) सप्ली. एससीआर 585	भरोसा किया	पैरा 21
1979 (1) एससीआर 810	भरोसा किया	पैरा 23
2003(2) सीआर 231	भरोसा किया	पैरा 23

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः दाण्डिक अपील संख्या 2066-2067/2009

उच्च न्यायालय दिल्ली, नई दिल्ली में दाण्डिक अपील संख्या 53/2000 और विविध दाण्डिक आवेदन सं. 6749/2008 के निर्णय और आदेश दिनांक 25.3.2009 से।

अपीलार्थी की ओर से याकेश आनन्द, निमित माथुर(न्यायमित्र), अतुल झा, धर्मेन्द्र कुमार सिन्हा।

प्रत्यर्थी की ओर से रेखा पाण्डे, गार्गी खन्ना, अनिल कटियार।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ0 बी.एस. चैहान, जे. 1. ये अपीलें आपराधिक अपील संख्या 53/2000 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 25.3.2009 के विरुद्ध की गई हैं, जिसके द्वारा सैशनस केस संख्या 77/99 में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 7.12.1999

को पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है जिन्होंने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 (जिसे इसके बाद 'आईपीसी' कहा जाएगा) के तहत दोषी ठहराया और आदेश दिनांक 8.12.1999 द्वारा 7 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई और 2000/- रूपये का जुर्माना लगाया गया।

2. इस मामले को बढ़ावा देने वाले तथ्य एवं परिस्थितियाँ इस प्रकार है किः

ए. श्रीमती इंदिरा पीडब्लू.1 (अभियोक्त्री) ने दिनांक 16.9.1998 को एक एफआईआर संख्या 886/98 इस आशय की दर्ज करवाई कि जब वह उस दिन रात को लगभग 8 बजे गांव खिरकी से चिराग दिल्ली जा रही थी, तो अपीलकर्ता उसे गंदा नाला के पास मिला। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे सड़क किनारे झाड़ियों की ओर खींच लिया और उसके साथ बलात्संग किया। वह डर के मारे शोर नहीं मचा सकी। अपराध करने के बाद, अपीलकर्ता उसे वहीं छोड़कर भाग गया। पीड़िता अपने पति के पास उसके कार्यस्थल पर गई और वहां से अपने पति के साथ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गई।

बी. अभियोक्त्री की चिकित्सीय जांच की गई। अपीलकर्ता को 1.11.1998 को गिरफ्तार किया गया। अभियोक्त्री का बयान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के समक्ष 20.11.1998 को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसके बाद 'सीआरपीसी' कहा जाएगा) की धारा 164 के तहत

दर्ज किया गया। अन्वेषण पूरा होने के बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ 21.4.1999 को धारा 376 आईपीसी के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 11 गवाहों को परीक्षित करवाया। अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान के अलावा, बचाव में 2 गवाहों को भी परीक्षित कराया।

सी. विचारण के समापन पर, विद्वान सत्र न्यायालय ने दिनांक 7/8.12.1999 के फैसले और आदेश के तहत अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उपरोक्तानुसार सजा सुनाई।डी. अपीलकर्ता ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष दाण्डिक अपील संख्या 53/2000 प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 25.3.2009 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

इसलिए, ये अपीलें पेश हुई।

3. विद्वान न्याय मित्र श्री याकेश आनंद, ने कथन किया है कि इंदिरा, अभियोक्त्री (पीडब्लू.1) पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके बयानों में भारी विरोधाभास रहे हैं। उसके सीआरपीसी की धारा 161 के बयान में उनसे कई मुद्दो/ तथ्यों में सामना हुआ है। अलंकरण/सुधार इतने बड़े पैमाने पर हुए थे कि उसका बयान ही अविश्धसनीय हो गया। अभियोक्त्री एक बदचलन महिला थी, जिसके कई युवाओं के साथ अवैध संबंध थे। निचली अदालतों ने अपीलकर्ता द्वारा परीक्षित करवाये गये बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों की व्याख्या करने मंे गलती की है। इस तरह के

मामले में जहां अभियोक्त्री शादीशुदा थी और उसकी उम्र 25 साल थी, चिकित्सकीय साक्ष्य अप्रासंगिक है। अतः अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्रीमती रेखा पांडे ने अपील का विरोध किया है और पुरजोर ढंग से तर्क दिया कि अपीलकर्ता को अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही पर सही दोषी ठहराया गया है और निचली दोनों अदालतों ने परिप्रेक्ष्य में तथ्यों की सही सराहना की है। निचली अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं।

5. हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की सजा को केवल अभियोक्त्री के बयान पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए और डॉ. निशा (पीडब्लू.9) के बयान पर विचार करते हुए दर्ज किया। स्वीकृत रूप से, अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बचाव पक्ष में जो बयान दिया है और दो बचाव गवाहों की साक्ष्य पेश की है इस हद तक कि पीडिता ने अपीलकर्ता और कुछ अन्य युवा व्यक्तियों के साथ घनिष्ठता विकसित की थी और उसके पति साहिब राव (पीडब्लू.3) ने इस संबंध में शिकायत उठाई थी, का भी उल्लेख नहीं किया है, निचली अदालतों में से कोई भी, हालांकि कानून के अनुसार अदालत को बचाव

संस्करण की सराहना करनी चाहिये और विधि के अनुसार ही इसकी सत्यता का फैसला करना होगा।

7. श्रीमती इंदिरा- अभियोक्त्री (पीडब्लू.1) के बयान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए इसका संदर्भ देना प्रासंगिक हो सकता है। अपने मुख्य परीक्षण में उसने कथन किया किः

> ''घटना वाले दिन से पहले आरोपी को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि उसने घटना से पहले मुझे छेड़ा था और मैंने आरोपी के माता-पिता और पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। मैंने इस मामले में उस शिकायत की कोई प्रति पुलिस को नहीं दी। यह कहना गलत है कि आरोपी घटना वाले दिन से करीब एक साल पहले से मेरे घर में रह रहा था।''

जिरह में वह यह नहीं बता सकी कि उसकी सलवार का कौन सा हिस्सा फटा था। अभियोक्त्री, जब सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयान के साथ विभिन्न बिंदुओं पर कठघरे में सामना कर रही थी और उक्त विरोधाभास निम्न प्रकार हैः

(1) मैंने पुलिस को अपने बयान में यह भी बताया था कि बलात्संग के समय मैंने शोर मचा दिया था।

(2) घटना की तारीख से पहले आरोपी को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि उसने

घटना से पहले मुझे छेड़ा था और मैंने आरोपी के माता-पिता और पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी।

जहां तक ''उसके शरीर पर चोट'' का सवाल है, उसने निम्नानुसार गवाही दीः

> ''मेरे गले पर खरोंच के अलावा मुझे कोई चोट नहीं आई और मैंने डॉक्टर को घटना के बारे में बता दिया था।''

8. अभियोक्त्री के पति साहिब राव (पीडब्लू.3) ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि वह अपीलकर्ता को बहुत अच्छी तरह से जानता था क्योंकि वे दोनों एक ही गांव के निवासी थे। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उनके और उनकी पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था. साहिब राव (पीडब्लू.3) का भी सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज बयान में विभिन्न बिन्दुओं पर सामना कराया गया।

9. डॉ. निशा (पीडब्लू.9) द्वारा दी गई गवाही निम्न हैः-

> ''उसके स्तन पर नाखून के निशान थे और इससे मैं कहती हूं कि उसके साथ बलात्संग किया गया होगा। पीड़िता के स्तन पर जो नाखून के निशान पाए गए, वह स्वयं द्वारा चोट पहुंचाने वाले हो सकते हैं.....पीड़िता की आंतरिक जांच से पता चला है उसकी हालत देखने के अलावा यह पता नहीं चल सका कि उसके साथ बलात्संग किया गया था क्योंकि

उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी छाती पर नाखून के निशान थे। (महत्व जोड़ें)

10. एसआई, लेख राज (पीडब्लू.6) जो पी.एस. मालवीय नगर, नई दिल्ली में तैनात थे, द्वारा जांच की गई और उन्होंने निम्नानुसार गवाही दीः

"30.10.1998 और 1.11.1998 की मध्यरात्रि रात करीब 11.45 बजे को, शिकायतकर्ता इंदिरा पी.एस. में आई। उसने बताया कि जिस व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया है वह खिरकी स्टॉप पर बैठा है. इसके बाद, मैं शिकायतकर्ता और कांस्टेबल जगत सिंह के साथ वहां गया और अदालत में मौजूद आरोपी को मेरे द्वारा इंदिरा की निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिया गया... आरोपी का गिरफ्तारी ज्ञापन प्रदर्श-पी.डब्ल्यु.01/एफ भी तैयार किया गया था.....

.....जहां से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, उस क्षेत्र से किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति को नहीं बुलाया गया। जिस स्थान से आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उस स्थान का साइट प्लान मैंने तैयार नहीं किया था। उस रात अभियोक्त्री इंदिरा मेरे पास थाने में अकेली आई थी। पीड़िता के घर और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है ।"

11. आर.एन. चैधरी (पीडब्लू.11), जांच अधिकारी ने बताया कि सड़क के ठीक पास बाड़ लगाई गई थी और सड़क के डिवाइडर पर बिजली का खंभा लगा हुआ था और बिजली चालू थी। घटनास्थल से कुछ दूरी पर रिहायशी मकान थे और सड़क करीब 20 कदम की दूरी पर थी।

12. अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में निम्नानुसार बताया गयाः

> ‘‘मेरे पीड़िता के परिवार के साथ अच्छे संबंध थे और हम एक ही गांव में रहते थे। पीड़िता मुझे अपने घर में रखना चाहती थी, जिससे मैंने इनकार कर दिया और इसी कारण से मुझ पर झूठा मामला लगाया गया है। मैं निर्दोष हूं और मुझे अभियोक्त्री और उसके पति के कहने पर पुलिस द्वारा इस मामले में झूठा फंसाया गया है क्योंकि मैंने अभियोक्त्री के घर में रहने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। उसके पति ने इस कारण अभियोक्त्री को गंभीर रूप से पीटा भी है।’’ (महत्व जोड़ें)

13. बचाव में अपीलकर्ता द्वारा चंदन सिंह (डी.डब्ल्यु.1) को परीक्षित करवाया, जिसने बताया कि वह इंदिरा (अभियोक्त्री) को जानता है और उसके पति उनके पड़ोसी हैं। अभियोक्त्री की पिछले 3 वर्षों से अपीलकर्ता के साथ घनिष्ठता थी। उसका घर पीड़िता के घर से 40 गज की दूरी पर है। अभियोक्त्री और उसके पति के बीच झगड़ा होता रहता था। उनके पति

साहिब राव (पीडब्लू.3) को अपीलकर्ता का अपने घर में प्रवेश पसंद नहीं था।

14. सुरेंद्र कुमार (डी.डब्ल्यु..2) ने निम्नानुसार बताते हुए प्रतिरक्षा कहानी का समर्थन कियाः

> ‘‘मैं साहिब राव और उनकी पत्नी इंदिरा को जानता हूं। साहिब राव पिछले 7 साल से मेरी राशन की दुकान में काम कर रहे थे। साहिब राव मुझे बताते थे कि एक लड़का जिसका नाम मैं नहीं जानता, वह साहिब राव के घर आता था, जिसको वह उसे पसंद नहीं करता था और इसी वजह से पति-पत्नी में झगड़ा हो रहा था। उक्त लड़का, जो न्यायालय में मौजूद है, इंद्रा के साथ मेरी दुकान पर भी आया था।’’

15. यदि यहां उपरोक्त उल्लेखित रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य की सराहना की जाती है, तो निम्नलिखित तस्वीर सामने आती हैः

(1) अभियोक्त्री और अपीलकर्ता एक-दूसरे को लंबे समय से जानते थे और उनके बीच कुछ संबंध/घनिष्ठता थी।

(2) पीड़िता के पति साहिब राव (पीडब्लू.3) को उक्त रिश्ता पसंद नहीं था।

(3) 16.9.1998 को वास्तविक घटना से दो-तीन दिन पहले कुछ घटना हुई थी क्योंकि इंदिरा-अभियोक्त्री ने पुलिस में अपीलकर्ता के साथ-साथ अपीलकर्ता के माता-पिता के खिलाफ कुछ शिकायत दर्ज कराई थी।

(4) अभियोक्त्री द्वारा 16.9.1998 से दो-तीन दिन पहले शिकायत दर्ज कराई गई जिसे कभी भी पुलिस के रिकार्ड पर साथ नहीं रखा गया।

(5) दिनांक 16.9.1998 की कथित घटना मुख्य सड़क के किनारे हुई थी जोकि व्यस्त रहती है और वहां पर्याप्त रोशनी थी और पीड़िता ने शोर मचाया इस तथ्य के बावजूद कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया।

(6) इस मुद्दे पर विरोधाभास हैं कि क्या पीड़िता अपने पति के कार्यस्थल पर गई और वहां से वह उसके साथ पुलिस स्टेशन चली गई क्योंकि रिकॉर्ड पर सबूत भी इसके विपरीत है यानी वह सीधे पुलिस स्टेशन गई और एक कांस्टेबल ने जाकर उसके पति को बुलाया।

(7) चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का सकारात्मक रूप से समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि डॉ. निशा (पीडब्लू.9) ने बताया कि उसकी हालत और फटे कपड़ों को देखकर यह कहा जा सकता है कि पीड़िता के साथ बलात्संग हुआ होगा।

(8) स्वीकृत रूप से, चिकित्सीय साक्ष्य और प्रत्यक्ष साक्ष्य में बहुत बड़ा विरोधाभास है। डॉ. निशा (पीडब्लू.9) ने रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज किया था और अदालत में गवाही दी थी कि पीड़िता के स्तन पर नाखून के

निशान थे, जबकि इंदिरा-अभियोक्त्री के मामले में यह था कि उसके गले पर नाखून के निशान थे।

(9) 30.10.1998 और 1.11.1998 की दरमियानी रात लगभग 11.45 बजे के बीच अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के बारे में लेख राज (पीडब्लू.6), एस.आई. का बयान असंभव प्रतीत होता है। उनके अनुसार, पीड़िता अपने घर से 3 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन तक पैदल गई। आधी रात को पुलिस को सूचित किया कि अपीलकर्ता खिरकी, प्रेस एन्क्लेव के स्टॉप पर बैठा है। गवाह अभियोक्त्री और पुलिस कांस्टेबलों के साथ वहां पहुंचा। उसने अपीलकर्ता को उक्त स्टॉप पर बैठा पाया और वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गवाह ने किसी स्वतंत्र गवाह की मदद से गिरफ्तारी मेमो तैयार नहीं किया। यदि अपीलकर्ता आधी रात को बस स्टॉप पर बैठा था तो वहां कुछ अन्य व्यक्ति भी हो सकते थे।

(10) अपीलकर्ता द्वारा लिया गया बचाव संस्करण और चंदन सिंह (डी.डब्ल्यु.1) और सुरेंद्र के बयान कुमार (डी.डब्ल्यु.2) इसके समर्थन में न केवल रहे हैं। नीचे की अदालतों द्वारा इसे नजरअंदाजध्खारिज कर दिया गया, बल्कि इसका कोई संदर्भ नहीं दिया गया है।

(11) यहां ऊपर उल्लिखित विरोधाभासों और विशेष रूप से उसके शरीर पर नाखून के निशानों के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वे केवल छोटे-मोटे विरोधाभास हैं जो मामले की जड़ तक नहीं जाते। कुछ

विरोधाभास/अलंकरण/सुधार बड़े पैमाने पर हैं और मामले पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

(12) एफ.एस.एल. रिपोर्ट दिनांक 6.5.1999 से पता चलता है कि पीड़िता के कुर्ता/सलवार पर खून के धब्बे/वीर्य एबी रक्त समूह के थे, हालांकि अपीलकर्ता का रक्त समूह 'ओ'($) है और इस प्रकार, एफएसएल रिपोर्ट भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करती है।

16. यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि एक बार जब अभियोक्त्री का बयान आत्मविश्वास जगाता है और अदालत द्वारा उसी अनुरूप स्वीकार कर लिया जाता है, तो दोषसिद्धि केवल अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य पर आधारित हो सकती है और किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि कोई बाध्यकारी कारण न हो जिसके लिए अदालत को उसके बयान की पुष्टि की आवश्यकता हो। अभियोक्त्री की साक्ष्य की पुष्टि कानून की न्यायिक निर्भरता के लिए एक शर्त के रूप में आवश्यकता नहीं है, बल्कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत विवेक का मार्गदर्शन है। छोटे-मोटे विरोधाभास या महत्वहीन विसंगतियाँ, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं होनी चाहिए। बलात्संग के अपराध का पीड़ित होने की शिकायत करने वाली अभियोक्त्री अपराध की सह-अपराधी नहीं है। उसकी गवाही को किसी अन्य गवाह की गवाही की तरह ही संभावनाओं के सिद्धांत पर सराहा जाना चाहिए; आपराधिक आरोप की विषय-वस्तु होने के लिये उच्च स्तर की

संभावना मौजूद होना चाहिये। हालाँकि, अगर अदालत को अभियोक्त्री के बयान को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करना मुश्किल लगता है, तो वह प्रत्यक्ष या पर्याप्त साक्ष्य की तलाश कर सकती है, जो उसकी साक्ष्य को आश्वासन दे सकता है। (वाईडः विमल सुरेश कांबले बनाम चलूवेरापिनके अपल एस.पी. एवं अन्य; एआईआर 2003 एससी 818; एवं विष्णु बनाम महाराष्ट्र, एआईआर 2006 एससी 508)

17. जहां अभियोजन पक्ष के साक्ष्य गंभीर दुर्बलताओं और अन्य सामग्री के साथ विसंगतियों से पीडित पाए जाते हैं, अभियोक्त्री अपनी ओर से सहमति को खारिज करने की दृष्टि से भौतिक बिंदुओं पर जानबूझकर सुधार कर रही है और उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है, भले ही उसका संस्करण अन्यथ भिन्न हो, उसके साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। (वाईडः सुरेश एन. भुसारे व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1999) 1 एससीसी 220)

18. जय कृष्ण मंडल एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य, (2010) 14 एससीसी 534, में इस न्यायालय ने इस मुद्दे से निपटते हुए कहा किः

> ‘‘बलात्संग का एकमात्र सबूत खुद पीड़िता का बयान था और जब इस सबूत को समग्रता में पढ़ा गया, तो पीड़िता द्वारा पेश की गई कहानी इतनी अविश्वसनीय थी कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सका।’’

19. राजू एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 2009 एससी 858, में इस न्यायालय ने माना कि आम तौर पर एक अभियोक्त्री के साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए और उस पर विश्वास किया जाना चाहिए, तथा उसके बयान का मूल्यांकन एक घायल गवाह के बराबर किया जाना चाहिए और यदि साक्ष्य विश्वसनीय है,तो किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, अदालत ने आगे कहाः

> ".....इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बलात्संग से पीड़िता को सबसे ज्यादा परेशानी और अपमान होता है, लेकिन साथ ही बलात्संग का झूठा आरोप आरोपी को भी उतना ही कष्ट, अपमान और नुकसान पहुंचा सकता है। अभियुक्त को झूठे आरोप की संभावना से भी बचाया जाना चाहिए... यह मानने का कोई अनुमान या कोई आधार नहीं है कि ऐसे गवाह का बयान हमेशा सही या बिना किसी अलंकरण या अतिशयोक्ति के होता है।"

20. तमीजुद्दीन/ तम्मू बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2009) 15 एससीसी 566 में, इस न्यायालय ने कहा किः

> "यह सच है कि बलात्संग के मामले में अभियोक्त्री के साक्ष्य पर प्रमुखता से विचार किया जाना चाहिए, लेकिन यह मानना कि इस साक्ष्य को ही स्वीकार किया जाना चाहिए, भले ही कहानी असंभव हो और तर्क को झुठलाती

हो, उन सिद्धांतों के प्रति हिंसा होगी जो किसी आपराधिक मामले में साक्ष्य की सराहना को नियंत्रित करें।''

21. ऐसे मामलों में जहां यह दिखाने के लिए कुछ सामग्री है कि पीड़िता को संभोग की आदत थी, वहां पीड़िता के ''सहज गुणों वाली महिला या ''ढीले नैतिक चरित्र वाली महिला होने का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसी महिला को अपनी गरिमा की रक्षा करने का अधिकार है और केवल इसी कारण से उसके साथ बलात्संग नहीं किया जा सकता। उसे खुद को किसी भी और सभी के साथ यौन संबंध बनाने से इन्कार करने का अधिकार है क्योंकि वह किसी भी और सभी के द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार होने के लिए एक कमजोर वस्तु या शिकार नहीं है। केवल इसलिए कि एक महिला सहज गुणों वाली होती है, उसके साक्ष्य को केवल इसी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसकी सावधानीपूर्वक सराहना की जानी चाहिए। (वाईडः महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम मधुकर नारायण मर्दिकर, एआईआर 1991 एससी 207; पंजाब राज्य बनाम गुरमित सिंह एवं अन्य, एआईआर 1996 एससी 1393; और यूपी राज्य बनाम पप्पू / यूनुस एवं अन्य, एआईआर 2005 एससी 1248)।

22. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 53 और 54 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जब तक कि अभियोक्त्री का चरित्र स्वयं विवाद्यक न हो, उसका चरित्र बिल्कुल भी विचार करने योग्य सुसंगत कारक नहीं है।

23. बलात्संग के आरोप में किसी आरोपी पर मुकदमा चलाते समय अदालतों को मामले को अत्यन्त संवेदनशीलता के साथ निपटाना चाहिए, मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और गवाहों के साक्ष्य में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो पर्याप्त प्रकृति के नहीं हैं।

हालाँकि, बलात्संग के मामले को भी साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पक्ष का होता है, जो अपराध के प्रत्येक घटक को सकारात्मक रूप से साबित करने के लिए स्थापित करना चाहता है और इस प्रकार साबित करने का भार कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। यह बताना बचाव पक्ष का कर्तव्य नहीं है कि बलात्संग के मामले में पीड़िता और अन्य गवाहों ने कैसे और क्यों आरोपी को झूठा फंसाया है। अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और बचाव पक्ष की कमजोरी का सहारा नहीं लिया जा सकता। जब तक कि अभियुक्त के खिलाफ संदेह कितना भी बड़ा हो और अदालत का नैतिक विश्वास और दृढ़ विश्वास कितना भी मजबूत हो, जब तक कि अभियुक्त का अपराध कानूनी साक्ष्य और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हो जाता, उसे किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यहां अभियुक्त की बेगुनाही की प्रारंभिक उपधारणा होती है और अभियोजन पक्ष को विश्वसनीय सबूतों के माध्यम से अभियुक्त के खिलाफ अपराध साबित करना होता है। अभियुक्त प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

(वाईडः तुकाराम और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1979 एससी 185: 1979; तथा उदय बनाम कर्नाटक राज्य एआईआर 2003 एससी 1639)

24. अभियोजन को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होगा और बचाव पक्ष के मामले की कमजोरी का सहारा नहीं लिया जा सकता। अभियुक्त की दोषसिद्धि को लेखबद्ध करने के लिए रिकॉर्ड पर उचित कानूनी साक्ष्य और सामग्री होनी चाहिए। दोषसिद्धि अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है, बशर्ते इससे उसकी गवाही का विश्वास मिलता हो। हालाँकि, यदि अदालत के पास अभियोक्त्री के संस्करण को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार न करने का कारण है, तो वह पुष्टिकारक की तलाश कर सकती है। यदि साक्ष्य को उसकी समग्रता में पढ़ा जाता है और अभियोक्त्री द्वारा पेश की गई कहानी असंभव पाई जाती है, तो अभियोक्त्री का मामला खारिज किए जाने योग्य हो जाता है। अदालत को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए और पूरे मामले की पृष्ठभूमि की समग्रता में साक्ष्य की सराहना करनी चाहिए, न कि अलगाव में। भले ही अभियोक्त्री सहज गुणी/अपवित्र महिला हो यह अपने आप में एक निर्धारक कारक नहीं हो सकता और अदालत को यह निर्णय देना आवश्यक है कि क्या आरोपी ने शिकायत में वर्णित अवसर पर पीड़िता के साथ बलात्संग किया था।

25. हस्तगत मामले का निर्णय उपरोक्त तय कानूनी प्रस्तावों के आलोक में किया जाना आवश्यक है।

हमने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की सराहना की है और यहां उपरोक्त उल्लेखित निष्कर्षों पर पहुंचे हैं। यहां तक कि कल्पना की किसी भी सीमा तक यह नहीं माना जा सकता कि यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोक्त्री घटना से पहले अपीलकर्ता को नहीं जानती थी। तथ्य और परिस्थितियाँ यह बिल्कुल स्पष्ट कर देती हैं कि यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य रिकॉर्ड पर अन्य सबूतों के साथ परिस्थितियों की समग्रता को पढ़ा और माना जाता है, जिसमें अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया है, तो उसका बयान विश्वसनीय प्रेरित नहीं होता है। अभियोजन पक्ष ने अपराध की वास्तविक उत्पत्ति का खुलासा नहीं किया। उपरोक्त परिस्थिति में अपीलकर्ता संदेह के लाभ के लिए हकदार है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलें सफल होती हैं और स्वीकार की जाती हैं। दाण्डिक अपील संख्या 53/2000 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 25.3.2009 और विचारण न्यायालय के दिनांक 7.12.1999 में पारित निर्णय व आदेश को एतदद्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता जमानत पर है, उसके जमानत बंधपत्र खारिज हो।

मामले से अलग होने से पहले, हम अदालत को सराहनीय सहायता प्रदान करने के लिए विद्वान न्याय मित्र श्री याकेश आनंद के प्रति अपनी

सराहना व्यक्त करना चाहेंगे और श्री याकेश आनंद, राज्य सरकार से उनकी फीस के रूप में 7,000/- प्राप्त करने के हकदार होंगे।

एन.जे. अपील की अनुमति.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री विजय कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।